न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 40 वर्ष 2023

आवेदक–दिलीप राम	क्रेता– नरेश केवट
ग्राम – साडम मंडय टोला	ग्राम– होसिर तेतरियाटॉड
थाना – गोमिया जिला–बोकारो	थाना –गोमिया जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क गई कार्रवाई बारे में टिप्प तारीख के साथ।
01	02	03

17.11.2023

आदेश

यह वाद वाद आवेदक दिलीप राम पिता स्व0 मोहन राम निवास ग्राम साडम मडंय टोला थाना गोमिया जिला बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	ब्रिकी रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	123	149	5460	07 डी0	03 डी0	आ0 योग्य

को वे अपने घरेलु खर्च हेतु मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये में क्रेता– नरेश केवट पिता डुमरचंद केवट निवास ग्राम होसिर तेतरियाटॉड थाना – गोमिया जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 551/रा0 दिनांक 17.05.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 742 दिनांक 13.06.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता कहार जाति एवं क्रेता मल्लाह जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम साडम मंडय टोला एवं केता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम होसिर तेतरियाटॉड थाना गोमिया जिला बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में मनु कहार के नाम से दर्ज हैं तथा जमाबन्दी बालो कहार के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 136/3 में दर्ज है तथा लगान रसीद 2023–24 तक निर्गत है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध पोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है। बिकेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन

को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन बिकी वाली भूमि खरीदगी जमीन है तथा जमाबन्दी बालो कहार के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

05. विक्रेता– बालो कहार के नाम केवाला की छायाप्रति, बालो कहार के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

06. क्रेता– आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता कहार जाति एवं क्रेता मल्लाह जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम साडम मंडय टोला एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम होसिर तेतरियाटॉड दोनों एक ही थाना जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खरीदगी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक दिलीप राम पिता स्व0 मोहन राम निवास ग्राम साडम मडंय टोला थाना गोमिया जिला बोकारो को निम्नांकित भूमि

मौजा	खाता न0	प्लाट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
होसिर	149	5460	07 डी0	03 डी0	कैलाश साव	रास्ता	कृष्णा केवट	मुकेश केवट

मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– नरेश केवट पिता डुमरचंद केवट निवास ग्राम होसिर तेतरियाटॉड थाना –गोमिया जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

27.02.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.07.06 01:09:43 -07:00
Location: 192.168.1.3